

Natraj Proteins Limited

**SOLVENT EXTRACTION PLANT & REFINERY
Nagpur Kalan, Ordinance Factory Road, ITARSI**

Mob. No. - 7974094919

Email : natrajproteinltd@rediffmail.com

CIN : L00153 MP 1990 PLC 006090



NPL/SE/2026-27

Date: 8th September, 2026

Online filing at www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager
DCS-CRD
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
MUMBAI - 400001

BSE CODE: 530119

Subject: Submission of copy of newspaper clippings of Notice of 35th Annual General Meeting (AGM), Remote E-Voting, Book Closure and other details.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of newspaper clippings of Notice of 35th Annual General Meeting (AGM), Remote E-Voting, Book Closure and other details, published in 'Free Press' (English Edition) and 'Choutha Sansar' (Vernacular Language- Hindi Edition) on **Tuesday, 8th September, 2026.**

You are requested to please take on record the aforesaid document for your reference and further needful.

Thanking You.

Yours Faithfully,

For, NATRAJ PROTEINS LIMITED



HARSHITA KIRKIRE

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl.: Clippings of English & Hindi Newspaper

सांप डर दिखाकर 31000 की ठगी

दरगाह के बाबा ने फोन पर कहा 'तेरे बेटे को सांप काट लेगा, पूजा करवा'

इंदौर,(नप्र)। खजुराना घाना क्षेत्र में एक ठग ने महिला को उसके छोटे बेटे को सांप काटने का डर दिखाकर 31 हजार रुपए ठग लिए। उसने कहा- तेरा बेटा इबारत में बैठा है, उसे सांप काट लेगा। उसकी जान बचानी है तो दरगाह पर पूजा करवाना होगी।ह बेटे की जान का डर दिखाकर आरोपी ने महिला से रुपए दौसाघर करवा लिए। पीड़िता की बहु फिस्टैस शाह निवासी जमरिया कॉलोनी की शिकायत पर खजुराना पुलिस ने अज्ञात नंबर से कॉल करने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया है। पहले बेटे गिनवाए, फिर छोटे बेटे का डर दिखावा फिस्टैस ने बताया कि उनकी सास साजिव रउग्र के मोबाइल पर 17 अगस्त को अज्ञात नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को दरगाह का बाबा बताया और परिवार में कितने बेटे हैं पूछा। साजिदा ने तीन बेटे होने की बात कही। इस पर आरोपी ने कहा कि उसने रात में इबारत की थी, जिसमें छोटे बेटे को सांप काटते हुए देखा है। उसने कहा कि बेटे की जान बचाने के लिए दरगाह पर विशेष पूजा करनी होगी। पहले 6 हजार मांगे, फिर 25 हजार रुपए लिए आरोपी ने पहले पूजा के सालांका के लिए 6 हजार रुपए मांगे। साजिद ने उसके बताए वकूअर कोड पर यह रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद आरोपी ने 25 हजार रुपए मांगे। साजिद ने यह रकम भी आरोपी के बताए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी। दोबारा 25 हजार मांगे तो हुआ ठगी का शक- 25 हजार रुपए मिलने के बाद आरोपी ने फिर कॉल किया और दोबारा 25 हजार रुपए मांगे। इस बार साजिदा को ठगी का का शक हुआ और उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया। आरोपी ने कहा कि जिस सांप की पूजा उसके पिता कर रहे थे, उसी सांप ने पिता को काट लिया है और वह महिला द्वारा मगे गए रुपयों पर बैठा है। उसने कहा कि रुपए देने पर बाद में पूरी रकम वापस कर देगा और रुपए नहीं दिए तो पूजा अ पूरी रह जाएगी, जिससे बेटे की मौत हो सकती है।

कलेक्टर के एक आदेश से मत्तों को मिली राहत

इंदौर। खजुराना ग ान मंडिर की भोजन शाला में भोजन प्रसादी वाह 1 करने के लिए कई बार मत्तों को काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ता था। भोजशाला की व्यवस्था के अनुसार स्थान खाली नहीं होने पर मत्तों को बाहर लाइन में खड़े रहकर अंदर स्थान खाली होने का इंतजार करना पड़ता था। कई मत्तों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी कि बाहर लाइन बनकर खड़े होना अपमानजनक लगता है। मत्तों ने यह भी जानकारी दी थी कि आगे चेन लगाकर उन्हें रोका जाता है कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने निर्देश दिए की अब भोजन शाला में मत्तों को खड़े नहीं रखा जाए। उनके लिए सुविधाजनक बैठ लगवाई जाए जिस पर बैठकर वह अपनी बारी का इंतजार कर सके। कलेक्टर के आदेश पर भोजशाला के बाहर स्टील की सुविधा युक्त बेंच लगा दी गई है अब यहां लाइन लगाना बंद हो गई है। मत्तों ने कलेक्टर के इस सचारावास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

मंदिरों के जी र्द्धार में मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए- संभागायुक्त

इंदौर (नप्र)। संभागायुक्त मध्यकर लायाकर की अह्मदख़ात में धर्मव्य विभाग अंतर्गत आयुक्त नियुक्ति मंदिरों के संरक्षों व संनीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त लायाकर ने इंदौर के 7 और धार जिले के 17 मंदिरों के प्रबंधन एवं ररिक्सा कार्यों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए है कि जिन मंदिरों में विकास कार्य प्रगति पर है तथा जो प्रेषित है, उन सभी के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ न किया जाए। उन्होंने सभी मंदिरों में प्रबंधन के लिए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को मंिट्रि प्रबंधन समिति की 15 दिनों में बैठक कर अवगत कराने के निर्देश दिए है। साथ ही सभी मंदिरों के लिए संभागायुक्त की ओर से प्रबंधक नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही 10 दिनों में मंदिरों के गंअर धा मौलिक सत्वापन करने के निर्देश दिए है। बैठक में र्साई सिटी सीईओ अर्ध जैन, प्रमारी उपायुक्त राजेश श्रीमती शैली कनास, धार डिवी कलेक्टर निमीशा पांडे, अनुविभागीय अधिकारी सुशी निर्धी वर्मा, आईडीए अधिकारी कपिल मल्ला खडिर् मंिट्रि विकास कार्य से जुड़े विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संभागायुक्त लायाकार ने निर्देश दिए कि गोपाल मंिट्रि में नवनिर्मित गीता भवन के संचालन का प्रबंधन टीक प्रचार से संचालन किया जाए। गीता भवन में आने वाले दर्शनार्थियों की बैठक व्यवस्था एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। गोपाल मंिट्रि कॉलेज में जिन दुकानदारों को दुकाने आवंटित हो गई है, उनकी ररिजिस्ट्री का कार्य शोध किया जाए। साथ ही शोध दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को पू र किया जाए। संभागायुक्त लायाकार ने मंदिरों में आने वाले दान राशि तथा बहुमूल्य दान वस्तुओं के सूची बनाने तथा उनके व्यवस्थित संग्रह 1 करने के निर्देश दिए है।

कार ने एक्टिवा सवार दो दोस्तों को रौंदा,दोनों की मौत

एक्टिवा से घूमने निकले थे, 3 रिक्शा-समोसा टेला को भी मारी टक्कर

इंदौर,(नप्र)। मरीमाता चौराहे के पास रविवार रात तेज रफ़्तार कार ने एक्टिवा सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। कार ने तीन ऑटो रिक्शा और एक समोसे के ठेले को भी टक्कर मारी। इसके बाद लोगों ने कार चालक को पकड़कर पीटा।

हादसा रात करीब 12:40 बजे हुआ। बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान सत्य साईं नगर निवासी राज (28) पुत्र रवि सोनोरे और नंदकिशोर सोलंकी (30) के रूप में हुई है। दोनों रात में घूमने निकले थे। मरीमाता चौराहे के पास सड़क पर करते समय कार ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कई फीट दूर जा गिरे।

कार ने 3 रिक्शा और समोसे के ठेले को भी मारी टक्कर

घर बना था अवैध गैस सिलेंडरों का स्टॉक सेंटर

इंदौर में 80 से ज्यादा घरेलू सिलेंडर जप्त

इंदौर, (नप्र)। गांधीनगर क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 80 से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घर से अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडरों की बिक्री की जा रही थी। बड़ी संख्या में सिलेंडर एक ही स्थान पर रखे होने से इलाके में गंभीर हादसे का खतरा बना हुआ था।

कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने की। टीम को सूचना मिली थी कि गांधीनगर क्षेत्र के एक मकान में बड़ी



हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार को मौके पर ही रोक लिया। बताया जा रहा है कि कार चालक ने एक्टिवा को टक्कर मारने से पहले तीन रिक्शा और एक समोसे के ठेले को भी टक्कर मारी थी। बाद में लोगों ने कार पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों के साथ कार की रफ़्तार की जांच कर रही है।

राज ओवन का कारीगर, नंदकिशोर सब्जी बेचता था
परिजनों के मुताबिक राज ओवन में कारीगर था। परिवार में उसकी पत्नी, दो भाई और माता-पिता हैं। वहीं नंदकिशोर सब्जी बेचने का काम करता था। परिवार में उसके पिता और एक बड़ा व एक छोटा भाई है।

घर बना था अवैध गैस सिलेंडरों का स्टॉक सेंटर

बड़ी संख्या में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और बिक्री किया जा रहा है। यदि किसी कारण से गैस रिसाव, आग या ब्लास्ट जैसी घटना होती तो आसपास का पूरा इलाका इसकी चपेट में आ सकता था। विभाग ने सिलेंडरों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में घरेलू सिलेंडर आरोपी तक कैसे पहुंचे और इनके जरिए कितने समय से अवैध कारोबार किया जा रहा था।

शहर के लिए महत्वपूर्ण ग्रीन फील्ड इंदौर-हरदा हाइवे पर ट्रैफिक शुरु

एमआर-10 जंक्शन के आसपास अधूरा निर्माा । वाहन चालकों के लिए बन रहा है परेशानी

इंदौर (नप्र) । मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के लिए महत्वपूर्ण ग्रीन फील्ड इंदौर-हरदा हाइवे पर ट्रैफिक शुरु हो गया है, लेकिन एमआर-10 जंक्शन के आसपास अधूरा निर्माण वाहन चालकों के लिए परेशानी बन रहा है। अंडरपास का काम और दोनों तरफ लगी रेलिंग के कारण वाहन चालकों को करीब ढाई किलोमीटर तक सर्विस रोड का उपयोग करना पड़ रहा है। अभी भी लगभग 95 प्रतिशत इंदौर-हरदा यातायात पुवने नेमावर रोड से गुजर रहा है।

बताया गया है कि इंदौर को हरदा, बैतूल और नागपुर की दिशा से जोड़ने वाले नए इंदौर-हरदा हाईवे को मुख्य मार्ग को अंडरपास से जोड़ने के लिए खुदाई चल रही है। मौल के पीछे की सड़क को

चार लेन सड़क ने अलग कर दिया है, इसलिए टीपीएस-5 की सड़क और सर्विस रोड ही प्रमुख विकल्प बचे हैं। क्षेत्र में पांच प्रवेश बिंदु हैं और लगभग एक किलोमीटर का हिस्सा एकतरफा होने से यातायात का दबाव बढ़ने की आशंका है। भारी बारिश के बाद कीचड़ ने भी मुश्किल बढ़ाई है।

प्रोजेक्ट की तय निर्माा । अवधि दो बार बढ़ा

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के लिए महत्वपूर्ण ग्रीन फील्ड इंदौर-हरदा हाइवे का काम तेजी से चल रहा है। इंदौर-खंडवा के पहले यह हाइवे तैयार हो जाएगा। इसका करीब 90 प्रतिशत काम हो गया है। इंदौर-हरदा रोड काम नवंबर 2022 से शुरू किया गया था।

हालांकि एनएचआइ प्रोजेक्ट की तय निर्माण अवधि दो बार बढ़ा चुका है। एमआर 10 जंक्शन पर एनएचएआइ थ्री लेयर ब्रिज बना रहा है। इसी के आगे हरदा तक नया ग्रीन फील्ड हाइवे बन रहा है। यहां जंगल-खेतों से सड़क निकाली जा रही है। यह सड़क हरदा से नागपुर को सीधे इंदौर से जोड़ेगी।

नागपुर जाने में होगी 3 घंटे की बचत

जानकारी के मुताबिक इंदौर-हरदा फोरलेन के तैयार होने के बाद इंदौर से नागपुर जाने में कम से कम 3 घंटे का समय बचेगा। इंदौर से जाने वाले वाहन इस रोड के बनने के बाद सीधे हरदा-बैतूल होते हुए नागपुर पहुंचेंगे।

आईडीएफसी बैंक का खाता साइबर ठगी में इस्तेमाल

बेंगलुरु, मुंबई और आंध्र प्रदेश से जुड़े तार, खाता धारक और साथी पर केस

दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

साइबर अपराध में इस्तेमाल हुआ बैंक खाता- पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आईडीएफसी बैंक की रैसकोर्स रोड, इंदौर स्थित शाखा में उमेश लालवानी के नाम से खाता संचालित है। जांच में सामने आया कि इस बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध से संबंधित लेन-देन के लिए म्यूल् अकाउंट के रूप में किया गया। पुलिस के मुताबिक, उमेश लालवानी ने अपने साथी ऋषि ठाकुर के साथ मिलकर खाते का इस्तेमाल किया। पुलिस अब खाते में हुए लेन-देन और उससे जुड़े साइबर अपराध की कड़ियों की जांच कर रही है।

बेंगलुरु, मुंबई और आंध्र प्रदेश में हुआ इस्तेमाल- पुलिस

को शुरूआती जानकारी में पता चला है कि इन खातों का इस्तेमाल बेंगलुरु, मुंबई और आंध्र प्रदेश में ठगी के शिकार लोगों से जुड़ी रकम के लेन-देन के लिए किया गया। जानकारी के मुताबिक, लोगों से ठगी के बाद लाखों रुपए इन खातों में जमा कराए गए। साइबर पोर्टल पर इन खातों को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी।

जाहिर सूचना
मेरा सचिन जादोन के नाम से SBI कार्डस का आयडी कार्ड नं 1386305, धीरा नागर में घुस हो गया है किसी को मिले तो इस नं. पर संपर्क करें।
सचिन जादोन मो - 87706-22428

SATYA SHYAM TRADING LIMITED
CIN : L51102MP1984PLC002684
Regd. Office : 110, Siyaganj, INDORE-452 007 (M.P.) Ph.. 0731-2533410, 2533602 E-mail : shyamnsaty@rediffmail.com, Website: www.satyashyam.com
NOTICE OF 42 nd ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON REMOTE E-VOTING
Notice is hereby given that:
1. The 42 nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (VC / OAVM) facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL) without the physical presence of Members at the venue, 110, Siyaganj, Indore, Madhya Pradesh-452007 India, on Wednesday, 30 th day of September, 2026 at 11:00 A.M. to transact the Businesses as set out in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
The AGM will be convened through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("collectively referred to as MCA Circulars").
The Company has sent the Notice of AGM, the Audited Financial Statements along with the Annual Report for the Financial Year Ended 31 March, 2026 on Monday, 07 th day of September, 2026 through electronic mode to members whose e-mail addresses registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), namely MCS Share Transfer Agent Limited.
In accordance with the MCA Circulars and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 (SEBI LODR Regulations), the Annual Report of the Company for FY 2025-26 is available on the website of the Company. The Annual Report can be accessed at: http://www.satyashyam.com/ .
2. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members, whose name appears in the register of members as on the close of business hours on Thursday, 24 th September, 2026 (cut-off date) may cast their vote electronically on the Businesses as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting system of National Securities Depository Limited (NSDL).
Manner of registering / updating e-mail address:
a) Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address are requested to register/update their e-mail address by submitting duly filled-in Form ISR-1 along with requisite documents to MCS Share Transfer Agent Limited at 383, Lake Garden, 1st Floor, Kolkata-700045 or by e-mail to helpdeskcds@mscsregistrars.com from their registered e-mail ID. A copy of the form ISR-1 can be downloaded from the website of MCS Share Transfer Agent Limited at www.mscregistrars.com .
b) Members holding shares in dematerialized form are requested to register / update their e-mail address with their respective Depository Participant.
Manner of casting votes through e-voting:
The Company will provide remote e-voting facility to its members in respect of the businesses to be transacted at the AGM. Members may also cast their vote through the e-voting facility available during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting, e-voting during the AGM and participation in the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of AGM.
Members holding shares in physical form and members who have not registered their e-mail address with the Company shall be entitled to cast their votes through the remote e-voting facility or through the e-voting system provided during the AGM, in accordance with the procedure prescribed in the Notice of AGM.
All the members are informed that:
a. The businesses as set out in the Notice of 42nd Annual General Meeting will be transacted through remote e-voting;
b. Remote e-voting shall commence from Saturday, 28 th September 2026 at 10:00 A.M (IST) and end on Tuesday, 29 th September, 2026 at 5:00 P.M. (IST);
c. Remote e-voting module shall be blocked at 5:00 P.M. on Tuesday, 29 th September, 2026 and no Member(s) shall be allowed to cast vote thereafter;
d. Cut-off Date for determining members eligible for e-voting is Thursday, 24 th September, 2026;
e. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories/ MCS Share Transfer Agent Limited as on the cut-off date, i.e., Thursday, 24 th September, 2026, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting;
f. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice of the 42 nd AGM and holding shares as on the cut-off date Thursday, 24 th September, 2026, may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.com . However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing User ID and Password for casting your vote.
g. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting;
h. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com ;
i. The details and copy of 42 nd AGM notice are available on the website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited at https://mseindia.com and is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and also on the Company's website at http://www.satyashyam.com/ .
By order of the Board Satya Shyam Trading Limited Sd/- Ashok Kumar Bansal (Director) DIN: 00545265
Date : 07.09.2026 Place : INDORE

KATARIA TENASYO	कटारिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
KATARIA TENASYO Brand for Excellence	कटारिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Earlier Known as Kataria Industries Private Limited) पंजीकृत कार्यालय: 34-38 एवं 44, औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम, मध्य प्रदेश 457001, मोबाइल: +91 9681828377, +91 741 261214/42/43; ई-मेल: info@katariaigroup.co.in । वेबसाइट: www.katariaindustries.co.in
कंपनी की 22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, कट-ऑफ तिथि और ई-वोटिंग	
उत्तराग्र सूचना दी जाती है कि कटारिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे पहले कटारिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के सदस्यों की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को सुबह 11.00 बजे आईएसटी को 22वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सामान्य और खास व्यवसायों को संवाहित करने के लिए आयोजित की जाएगी। उपरोक्त MCA परिणामों और SEBI के परिपत्र से SEBI/HO/CF/DMD2/CIR/P/2022/62, रिनांक 13 मई, 2022, वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के साथ 22वीं एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। माननीय सदस्य नोट कर सकते हैं कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 कंपनी की वेबसाइट एट https://www.katariaindustries.co.in/wp-content/uploads/2026/09/Annual-Report-2025-26.pdf, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्विरीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। एनएसटी परिपत्रों के अलावा, शेयरधारक चाहे डीमैट फॉर्म या भौतिक रूप में इक्विटी शेयर धारण कर रहे हों और जिन्होंने अपने ईमेल पते जमा नहीं किए हैं और जिनके परिणामस्वरूप 22वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 की सूचना की सेवा नहीं की जा सके, वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अस्थायी रूप से अपने ई-मेल पते पंजीकृत करवा सकते हैं।	1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे जाते हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा cs@katariaigroup.co.in भेज सकते हैं। 2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे जाते हैं, तो कृपया cs@katariaigroup.co.in को ईमेल द्वारा सीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का सीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का सामग्री आईडी), नाम, ब्लास्ट मास्टर या सेमिकल खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। 3. वैलेजिक रूप से सदस्य evoting@nsdl.com को भिंट (1) या (2) में उल्लिखित विवरण साबित करके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एक ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं। 4. ई-मेल पते के समेत पंजीकरण के बाद, शेयरधारक को 22वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 की सूचना की सांफ्ट कॉपी और 22वीं एजीएम के लिए ई-वोटिंग को सक्रम करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की सूचना मिलेगी। किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक cs@katariaigroup.co.in पर कंपनी को लिख सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी (प्रतिमागी) के साथ अपने पूर्ण बैंक विवरण और ईमेल आईडी को पंजीकृत/अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते बनाए रखते हैं यदि शेयर अपेक्षित दस्तावेज जमा करके डिमैटरीलाइज्ड मोड में रखे जाते हैं।
कंपनी में कोई भीसिक् शेयरधारक नहीं होने के कारण, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक बंद नहीं हैं। जिन सदस्यों के नाम सदस्यों के रजिस्टर में या मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 ("कट-ऑफ तिथि") को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे केवल रिपोर्ट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हक्द्वार होंगे और साथ ही एजीएम में मतदान भी करेंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों (संशोधित) और सेबी (एलओडीआर) नियम, 2015 (संशोधित) के विनियमन 44 और उपर्युक्त एनएसटी परिपत्रों के अनुसार, कंपनी एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल के साथ एक समझौता किया है। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के माध्यम से सदस्यों द्वारा प्रस्तावों को पारित माना जाता है जैसे कि वे एजीएम में पारित किए गए हैं। रिपोर्ट ई-वोटिंग रविवार, 28 सितंबर, 2026 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और रविवार, 28 सितंबर, 2026 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखने वाली कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट (रिमोट ई-वोटिंग) डाल सकते हैं। सदस्य नोट कर सकते हैं कि अ) मतदान के लिए उपर्युक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अलग कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और ब) जिन सदस्यों ने 22 वीं एजीएम से पहले रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी 22 वीं एजीएम में नाम ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हक्द्वार नहीं होंगे। दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया 22 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में प्रदान की गई है।	कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, सितंबर 22, 2026 को शेयर रखता है, evoting@nsdl.com या cs@katariaigroup.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "पासवर्ड भूल गए" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के संदर्भ में, डीमैट मोड में प्रतिभितियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिमागी के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है। ई-वोटिंग के लिए किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (फ्रैक्वेंटली अस्क़ेड शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं) को www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या टोल फ्री नंबर 022-4886 7000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.com पर अनुरोध करें। सदस्य कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी की कंपनी सचिव सुशी श्रियंका जितेन्द्र कुमार बख्तिवारपुरी से भी संपर्क कर सकते हैं या cs@katariaigroup.co.in को ई-मेल लिख सकते हैं या किसी भी अन्य संपर्कस्थान के लिए +91 7412 261141/42/43 पर कॉल कर सकते हैं।
स्थान: रतलाम दिनांक: सितंबर 7, 2026	करारिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पहले कटारिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) एस डी अरुण कटारिया प्रबंध निदेशक

